संख्या–पी 99/81–2–2019–800 (144)/2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 19 दिसम्बर **2019**

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद–अलीगढ़ रोड (एन0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलताबाद, तहसील–कोल जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटले आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–930/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/26736/2017, दिनांक 08.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि विषयगत प्रस्ताव में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) का उल्लेख किया गया है अर्थात् प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना भारत सरकार, राज्य सरकार की अनुमति के निर्माण कार्य कर लिया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन हुआ। अतएव इसके दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुये निराकरण कराने का कष्ट करें:–

1– प्रस्ताव के भाग–2, भाग–3 एवं भाग–4 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत संस्तुति नहीं की गयी है।

2– प्रस्ताव में स्पष्ट नही है कि उल्लंघन कब से किया गया है।

3– प्रस्ताव के पृष्ठ–54, 56 पर प्रयोक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।

4– पृष्ठ–55 पर रक्षित Site Inspecection Report के मध्य भाग मे बिन्दु–ए और बी के संबध में कथन रिक्त किया गया है ।

5– उल्लंघन के संबंध में Inspececting officer के जाच रिपॉर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।

6–पृष्ठ–57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को नोटिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।

7– प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–32/33 व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन पाये जाने का कथन किया गया है। विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए रेंज केस इजरा किया गया है परन्तु किसी तरह का प्रतिकर लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

8–पृष्ठ–73 पर रक्षित ले आउट प्लान पठनीय प्रति अपेक्षित है?

9–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उल्लघन किया गया अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले?

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 1240 /11सी–FP/UP/Others/26736/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 20, 2019

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन0एच0 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला–मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/12/19

O/C

(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ